

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी गुरमेल सिंह पुत्र कोकराम जाति थोरी निवासी वीपीओ कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद खो जाने की एफ.आई.आर प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता कोकराम पुत्र चनगराम जाति थोरी निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 17.02.2016 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 20.02.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 17.02.2016 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह सुखमन्दर सिंह पुत्र मख्तयार सिंह एवं बलविन्द्र सिंह पुत्र लीला सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री दिनेश कुमार अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय



वकील  
I. B. Y. M. C.  
D. P. S.  
8.2021